दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्र. 16/2015 द्वारा स्थापित)

शासकीय वा.वा. पाटणकर, कन्या महाविद्यालय परिसर, रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.) – 491001

Email: academic@durguniversity.ac.inWebsite: www.durguniversity.ac.in Phone & Fax 0788-2213300

क्र. 745 /अका./प्र.मा./2017 दुर्ग, दिनांक 8/6/17

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
जिला– दुर्ग/बालोद/बेमेतरा/कवर्धा/राजनांदगांव,
(छ.ग.)

विषयः– छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2017–18 हेतु प्रवेश मार्ग दर्शिका सिद्धांत।

संदर्भः– कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, के पत्र क्र. 445/138/आउशि/समन्वय/17 नया रायपुर दिनांक 02.06.2017।

–––0–––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, छ.ग. शासन के संदर्भित पत्र द्वारा छ.ग. राज्य के समस्त शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2017–18 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किए गये हैं। अतः समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2017–18 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

कृते कुलसचिव
दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्र.746 /अका./प्र.मा./2017 दुर्ग, दिनांक 8/6/17

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग को सूचनार्थ।
3. वित्त नियंत्रक/अधिष्ठाता छात्र कल्याण, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग।
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग को सूचनार्थ।

उपकुलसचिव
दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

PRINCIPAL
Govt. Kunj Bihari Choubey
Mahavidyalaya, Lal Bahadur Nagar
Distt.- Rajnandgaon (C.G.)

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. **आरक्षण--छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-**

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :-

(1) ST (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(2) SC (ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मे से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(3) OBC (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

(4) 12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के प्राप्तांकों को 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेंगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

(5)

PRINCIPAL
Govt. Kunj Bihari Choubey
Mahavidyalaya, Lal Bahadur Nagar
Distt.- Rajnandgaon (C.G.)